संख्या- 12/2020/588 /अडतीस-7-2020-10नरेगा/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनाँक 21 मई, 2020

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों की सुरक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय स्थानों पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार् के मौके पर कार्य प्रारम्भ करते हुए अथवा कार्य के दौरान विवाद व हिंसक घटनाएं घटित हुई है। ऐसे में समस्त कार्यदायी संस्थाएं व ग्राम पंचायतों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से जुड़े कार्मिक(ग्राम रोजगार सेवक) आदि यह सुनिश्चित करें कि विवाद की स्थिति में राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर विवाद के अन्तिम निस्तारण के पश्चात ही मौके पर कार्य कराया जाय। आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि अपने स्तर से भी समस्त सम्बन्धित को निर्देश निर्गत करें। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य पर लगे सभी कर्मियों यथा ग्राम रोजगार सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-12 / 2020/588 /अडतीस-7-2020तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
2- अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त उपायुक्त, श्रम रोजगार, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- गार्डबुक।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in